ILLEGAL CONSTRUCTION IN YAMUNANAGAR

- **560. SH. BISHAN LAL SAINI, M.L.A.:** Will the Urban Local Bodies Minister be pleased to state:
 - a) Whether it is a fact that the land of Sunder Nagar Part II Colony in Ward No. 11 of Yamunanagar has been sold in unauthorized manner, the colony has been carved out and construction was made illegally; and
 - b) If so, the name of officers who are involved in the process from registry to illegal construction of abovesaid area togetherwith the action taken by the Government against the said officers alongwith the details thereof?

REPLY

MANOHAR LAL, CHIEF MINISTER, HARYANA

- a) Yes Sir. An un-authorised colony in Khasra No. 1026, 1051, 1052 etc. of the revenue estate of village Tejli, Tehsil- Jagadhari, Distt. Yamuna Nagar has been carved out in un-authorised manner and construction has been raised illegaly.
- b) The name of the officers who have been involved in carving out the colony and illegal registration of the plots can be pointed out after conducting an enquiry in the matter. The Deputy Commissioner, Yamuna Nagar will be asked to enquire the matter and send his enquiry report within two months. As per the findings of the enquiry report, the action against the defaulting officers will be taken.

यमुनानगर में अवैध निर्माण

560, श्री विशन लाल सैनी, एम एल ए, क्या शहरी स्थानीय निकाय मंत्री कृपया बताएंगे कि:-.

क – क्या यह तथ्य है कि यमुनानगर के वार्ड नंबर 11 में सुंदर नगर पार्ट II कॉलोनी की भूमि को अवैध ढंग से बेचा गया है, कॉलोनी को काटा गया है तथा अवैध रूप से निर्माण किया गया है, तथा

ख- यदि हां, तो उपरोक्त क्षेत्र के रिजस्ट्री से लेकर अवैध निर्माण तक की प्रक्रिया में शामिल उन अधिकारियों का नाम क्या हैं तथा उक्त अधिकारियों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई तथा उसका ब्यौरा क्या है?

जवाब

मनोहर लाल, मुख्यमंत्री, हरियाणा

- क जी हाँ। ग्राम तेजली, तहसील जगाधरी, जिला यमुनानगर के राजस्व सम्पदा के खसरा क्रमांक 1026, 1051, 1052 आदि में एक अनाधिकृत कॉलोनी को अनाधिकृत तरीके से काटा गया है और निर्माण अवैध रूप से किया गया है।
- ख उन अधिकारियों के नाम जो कालोनी को तराशने और भूखंडों के अवैध पंजीकरण में शामिल रहे हैं; मामले की जांच करने के बाद बताया जा सकता है। यमुनानगर के उपायुक्त को मामले की जांच करने और दो महीने के भीतर अपनी जांच रिपोर्ट भेजने को कहा जाएगा। जांच रिपोर्ट के निष्कर्षों के अनुसार दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।